

## राजस्थान सरकार

# निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट- 111)/2019/

दिनांक :

### आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकलपीठ याचिका संख्या 16210/2019 महात्मा गांधी जनरल एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टी., आगरा रोड, जयपुर बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.10.2019 की पालना में एवं उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग ने पत्र क्रमांक : प.24 (17) चिस्वा./ग्रुप-3/ 2014 दिनांक 19.11.2019 की पालना में उक्त संस्था को उक्त याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन निर्देशानुसार सत्र 2019-20 में जीएनएम प्रशिक्षण हेतु निजी नर्सिंग संस्था का नाम उनके सम्मुख अंकितानुसार विभाग द्वारा जारी निजी नर्सिंग स्कूलों की सूची में शामिल किया जाता है। उक्त संस्थान में छात्रों का प्रवेश माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा :-

क्र. स.	उसी सूची की क्रम संख्या	संस्थान का नाम	जिला	कुल सीटे	50 प्रतिशत राजकीय कोटे से	50 प्रतिशत फैंडरेशन कोटे से
1.	158	उक्त निर्णय के क्रम में संस्था द्वारा प्रेषित पत्रानुसार महात्मा गांधी जनरल नर्सिंग इन्स्टी., माली की कोठी, बगराना, कानोता	जयपुर	50	25	25

शेष शर्तें एवं मापदण्ड यथावत रहेंगे।

१

(मुकुल शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 12/12/19

क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट- 111)/2019/804

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काँसिल, जयपुर।
3. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फैंडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
4. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फैंडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल, जयपुर, राजस्थान।
6. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश/सूची को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2019-20 में अपलोड करने का श्रम करे।
7. उप निदेशक (एसीपी) राज कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानों को जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2019-20 की सूची में सम्मिलित करने का श्रम करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

१

(मुकुल शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर